



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-627

New Delhi: 19.08.2020

श्री दयानन्द

पुत्र श्री सतवीर सिंह

गांव या डाकखाना पृथला

तहसील व जिला पलवल

हरियाणा

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आपके मूल आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 27.07.2020.

संबंधित कार्यालय से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकरण को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्र

महाप्रबंधक / प्रशासन DFCCIL,

5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001


19.8.2020

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक/प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707

संलग्न:- 01 पृष्ठ।

No. CPM/DFCCIL/MTC/EN/RTI/Vol-VII

दिनांक: 07.08.2020
14

डिप्टी जी०एम०/एडमिन(पी०आई०ओ०),
कॉर्पोरेट ऑफिस, डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- श्री दयानन्द पुत्र सतवीर सिंह निवासी ग्राम व डाकथाना पृथला जिला पलवल, हरियाणा का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2020

सन्दर्भित पत्र मे चाही गयी सूचना की जानकारी बिन्दुवार निम्नवत है-

पैरा सं	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	ग्राम मकरन्दपुर उर्फ फतेहपुर, तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।	पैरा संख्या-1, 2 व 3 के सम्बन्ध में अवगत कराया जाता है कि आवेदन पत्र मे उल्लेखित ग्रामों की भूमि के प्रतिकर का निर्धारण रेल संशोधन अधिनियम 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है।
2	ग्राम भौरा तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर।	
3	ग्राम सलौनी उर्फ रौनी तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर। उपरोक्त तीनों गाँव की भूमि डी.एफ.सी.सी.आई.एल. ई.डी.एफ.सी.आई.एल. मे अधिग्रहित की थी उनको गाँव के किसानों को भूमि का मुआवजा किस प्रकार दिया।	
4	उपरोक्त गाँव के माईक्रोप्लान व इटाइटलमेंट आर.आर.पी. 2015 में कीमत किस प्रकार दी गयी है।	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अनुदान का भुगतान आर०एफ०सी०टी०एल०ए०आर०आर०-2013 की द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्राविधानों के अनुसार दिया जा रहा है।
5	उपरोक्त गाँव के किसानों को माईक्रोप्लान के अधीन 5.5 लाख रुपये उपर्युक्त किसानों को किस प्रकार दिये गये है सभी किसानों की सत्यापित (अटैस्टड) की प्रतिलिपी चाहिए।	चाही गयी जानकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-8 की उपधारा (g) & (j) व धारा-11 के अन्तर्गत तृतीय पक्षकार होने के कारण उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।
6	उपरोक्त गाँव के किसानों की भूमि साल-2015 के बाद जो भूमि अधिग्रहण की है, क्या जो मकान की भूमि अधिग्रहण के सीमा मे आये है व बिजली के ट्यूबवैल व मैदानी बोर्ड व फलदार पेड, इमारती लकड़ी के पेड इनकी कीमत मुआवजा किस प्रकार दी क्या उपर्युक्त मकान, ट्यूबवैल, मैदानी बोर्ड, फलदार पेड पर भी कीमत से अलग 100 प्रतिशत दिया गया है बताने की कृपा करे।	अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के प्रतिकर का मूल्यांकन रेल संशोधन अधिनियम 2008 व आर०एफ०सी०टी०एल०ए०आर०-2013 की धारा 30(1) के अनुसार किया जाता है।
7	उपर्युक्त गाँव की भूमि का अवाई 2015 के बाद किया गया है उसके मुताबिक ही उपर्युक्त बिन्दुओं की जानकारी दी जाए। श्रीमानजी उपर्युक्त बिन्दुओं की जानकारी 2015 से बाद ई.डी.एफ.सी.सी.आई.एल. मेरठ ने जो अधिग्रहित की है उसकी जानकारी दी जाने या किसी आधार पर अधिग्रहित की गई है। श्रीमान जी उपर्युक्त सभी बिन्दुओं की हमें पूर्ण रूप से जानकारी दी जाए।	उपर्युक्त अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन पर शत प्रतिशत सोलेशियम दिया जाता है।

सलंगनक: आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र।

(महावीर सिंह)

उप जनसूचना अधिकारी/
उप परियोजना प्रबन्धक/(विद्युत)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.मेरठ।